

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 12.07.2025

पार्क के सुंदरीकरण कार्य का किया शिलान्यास

वाराणसी। शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने शुक्रवार को तुलसी मानस मंदिर और कैवल्य धाम पार्क के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। वीडोए की ओर से पार्कों के सुंदरीकरण की पहल के तहत ये शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। दोनों पार्क में पाथवे (पैदल मार्ग), बाउंड्रीवॉल (चहारदीवारी) के निर्माण के साथ सोलर/एलईडी लाइट लगवाई जाएगी। बैठने के लिए आधुनिक बेंच और झूले लगाए जाएंगे। ओपन जिम भी बनाया जाएगा। इस दौरान वीडोए के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता संजय गुप्ता, अवर अभियंता संजय तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला—दि० 12.07.2025

वीडोए ने अवैध निर्माण सील किया

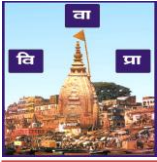
वाराणसी। वीडोए की ओर से शुक्रवार को कसवार राजा में अवैध निर्माण सील किया गया। नगवां वार्ड के गोपाल सिंह की ओर से अखरी कसवार राजा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

राष्ट्रीय सहारा—दि० 12.07.2025

तुलसी मानस मंदिर व कैवल्य धाम पार्कों का होगा जीर्णोद्धार

वाराणसी। वीडोए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को विधायक, वाराणसी दक्षिणी नीलकंठ तिवारी ने तुलसी मानस मंदिर पार्क तथा कैवल्य धाम पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इन पार्कों के पुनर्विकास के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता संजय गुप्ता तथा अवर अभियंता संजय तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा—दि० 12.07.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किया सील

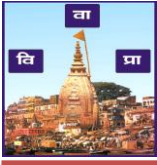
वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में जोन-चार में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। वार्ड-नगवां, के अंतर्गत गोपाल सिंह ने मौजा- अखरी, परगना-कसवार राजा, थाना-रोहनिया में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये (बी+जी+3) तलों के ऊपर पीलर का निर्माण कार्य करने पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस पर शुक्रवार को स्थल को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

दैनिक जागरण—दि० 12.07.2025

वीडीए ने सील किया होटल

जागरण संवाददाता,
वाराणसी : वाराणसी
विकास प्राधिकरण
सचिव डा. वीपी मिश्रा
के निर्देश पर शुक्रवार
को अवैध निर्माण के
खिलाफ कार्रवाई की
गई। जोन चार के
जोनल अधिकारी
संजीव कुमार ने
बताया कि नगवां वार्ड
के अखरी में गोपाल
सिंह अवैध तरीके से
निर्माण कर होटल
बना रहे थे। नोटिस
जारी होने के बाद भी
निर्माण जारी रहा।
उक्त होटल को सील
कर पुलिस अभिरक्षा
में सौंप दिया गया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 12.07.2025

जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-नगवां, के अंतर्गत गोपाल सिंह द्वारा आराजी नं-946 क, मौजा- अखरी, परगना-कसवार राजा, थाना-रोहनिया में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 40 इ 50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में (बी+जी+3) तलों के ऊपर पीलर का निर्माण कार्य करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था। अतः आज दिनांक 11/07/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश-दि0 12.07.2025

'तुलसी मानस मंदिर एवं कैवल्य धाम पार्कों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास सम्पन्न'



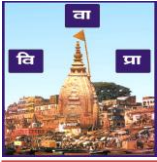
वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहल निरंतर जारी है। इसी उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के क्रम में 'आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को माननीय विधायक एवं स्वच्छ सुंदर और आधुनिक वाराणसी दक्षिणी श्री नीलकंठ नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया

गया। "इन पार्कों के पुनर्विकास के अंतर्गत निम्न नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिनमें 'पाथवे ; पैदल मार्ग 'बाउंड्रीवाल ; चहारदीवारी 'सोलर एलईडी लाइटिंग' 'बैठने हेतु आधुनिक बेंचेस' बच्चों के लिए प्ले इक्विपमेंट' 'ओपन जिम की स्थापना' 'योग साधना हेतु योगा शेल्टर का निर्माण'। शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा सहित अवर अभियंता संजय गुप्ता तथा अवर अभियंता संजय तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 12.07.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-नगवां,

के अंतर्गत गोपाल सिंह द्वारा कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा आराजी नं-946 क, मौजा-अखरी, परगना-कसवार राजा, थाना-रोहनिया में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 40^० 50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में (बीहजीड3) तलों के ऊपर पीलर का निर्माण कार्य करने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था। अतः आज दिनांक 11/07/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

